

## अध्याय 3

# वित्तीय रिपोर्टिंग

एक अच्छी आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना से राज्य सरकार के कुशल एवं प्रभावशाली संचालन में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। इस प्रकार वित्तीय नियम एवं निर्देशों को अनुपालन के साथ ऐसे अनुपालन की स्थिति के रिपोर्टिंग की समयपरता एवं गुणवत्ता अच्छे शासन के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं में एक है। अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रतिवेदन यदि प्रभावशाली एवं क्रियात्मक हो तो चुस्त योजना बनाने एवं निर्णय लेने में राज्य सरकार को उनके प्रबंधात्मक उत्तरदायित्व के निर्वहन में सहायता मिलती है। यह अध्याय राज्य सरकार के चालू वित्तीय वर्ष के विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निवेशों की स्थिति का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

### 3.1 सार आकस्मिक व्यय से संबंधित बिहार कोषागार संहिता के प्रावधानों में संशोधन

बिहार कोषागार संहिता (बी०टी०सी०), 1937 को अक्टूबर 2006<sup>1</sup> में संशोधित किया गया जिसमें विस्तृत आकस्मिक (डी०सी०) विपत्रों को जमा करने की अवधि पूर्व के प्रावधान एक महीने के स्थान पर बढ़ाकर छः महीने करने को समाविष्ट किया गया। आगे, अक्टूबर 2011 के प्रभाव से नई बिहार कोषागार संहिता से इसे प्रतिस्थापित किया गया।

#### 3.1.1 बिहार कोषागार संहिता, 2011

बिहार कोषागार संहिता 2011 (नियम 194) में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं एवं पूँजीगत परियोजनाओं के लिए निधियों के आहरण को संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के आहरण की परिधि में लाया गया जो कि बिहार कोषागार संहिता के नियम 168<sup>2</sup> में दिए गए आकस्मिक प्रभार की आधारभूत परिभाषा के परे था। इसके अतिरिक्त, नियम 194 के अंतर्गत कार्य विभागों को, अन्य संक्षिप्त आकस्मिक (ए०सी०) विपत्रों के संदर्भ में विस्तृत आकस्मिक (डी०सी०) विपत्रों के लिए निर्धारित छः महीने की समयावधि के विरुद्ध, परियोजना कार्य के लिए विस्तृत आकस्मिक (डी०सी०) विपत्रों को राशि आहरण के एक साल के अंदर समर्पित करने की अनुमति दी गई। यह बिहार कोषागार संहिता के नियम 176–177 के प्रावधानों के विपरीत है जो यह निर्धारित करता है कि जबतक तत्काल भुगतान के लिए आवश्यक न हो कोई राशि आहरित नहीं की जानी चाहिए तथा अव्ययित राशि को यथाशीघ्र और किसी अवस्था में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व जिसमें राशि आहरित की गई है, कोषागार को वापस की जानी चाहिए। यह देखा गया कि विस्तृत आकस्मिक विपत्रों को समर्पित करने की छः महीने/एक वर्ष की समयावधि की अनुमति देना केन्द्रीय कोषागार संहिता (प्राप्ति एवं भुगतान नियम, 1983) के अनुरूप नहीं था, जिसमें एक महीने की समय सीमा निर्धारित की गई है।

<sup>1</sup> बिहार कोषागार संहिता में संशोधन वित्त विभाग के दिनांक 13 अक्टूबर 2006 के एक कार्यपालक आदेश द्वारा किया गया।

<sup>2</sup> 'आकस्मिक प्रभार' शब्द से अभिप्रेत है तथा उसमें शामिल है सभी आनुशांगिक एवं अन्य व्यय जो किसी कार्यालय का कार्यालय के रूप में प्रबंधन करने में या उपगत होता है व्यय वर्गीकरण के विहित नियमों में 'कार्य', 'स्टॉक', 'उपकरण' एवं संयंत्र आदि से भिन्न व्यय शीर्ष में किसी विभाग के तकनीकी कार्यों के लिए किए जाते हैं।

इस प्रकार बिहार कोषागार नियमावली 2011 में ऐसे प्रावधानों से 'आकस्मिक व्यय' से अलग उद्देश्यों के लिए संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र पद्धति द्वारा सरकारी निधियों का आहरण अनुमत हुआ तथा जिससे अन्ततोगत्वा निधियाँ यथावत पड़ी रहीं एवं वापस की गयीं।

वित्त विभाग ने अपने जवाब में कहा कि (नवम्बर 2012) आकस्मिक व्यय बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 168 में परिभाषित किए गए हैं तथा योजनान्तर्गत योजनाओं को आकस्मिक व्यय के परिभाषा की परिधि के बाहर रखा गया है। संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर निर्माण कार्यों, केन्द्रीय योजनागत योजनाओं एवं केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए निधियों के आहरण के प्रावधान बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 194 में निर्धारित किए गए हैं। अतः, नियम 194 के प्रावधानों को नियम 168 के साथ सहयुक्त करना उचित नहीं होगा। यह भी कहा गया कि लेखा परीक्षा के अनुशंसा के आलोक में आकस्मिक व्यय एवं निर्माण कार्यों से परे योजनाओं के लिए विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के समर्पण की समायावधि वर्तमान छः महीने से घटाकर 2-3 महीने किए जाने पर विचार किया जाएगा।

लेखा परीक्षा का यह मत है कि नियम 194 व्यापक शीर्षक 'आकस्मिक प्रभार' के अंतर्गत है और इसे अलग रूप में नहीं देखा जा सकता। योजनागत योजनाओं को आकस्मिक प्रभार की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जा सकता (बिहार कोषागार संहिता, 2011 का नियम 168)। इसके अतिरिक्त, विभाग ने कहा (नवम्बर 2012) कि बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 176 एवं 177 के प्रावधान संघित निधि से धन के आहरण के लिए सामान्य दिशा निर्देश हैं और इनकी तुलना विशेष परिस्थितियों में लागू नियमों के साथ नहीं की जानी चाहिए। तथापि, तथ्य यह है कि विनियोजन अधिनियम एवं बिहार कोषागार संहिता, 2011 नियम 177 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय के लिए धन के आहरण की अनुमति देते हैं और इस आधारभूत सिद्धांत के विरुद्ध कुछ भी अनियमित माना जाएगा।

### 3.2 सार आकस्मिक/सहायता अनुदान विपत्रों पर निधियों के आहरण तथा विस्तृत आकस्मिक विपत्रों/उपयोगिता प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतीकरण की समीक्षा

#### 3.2.1 प्रस्तावना

आहरण के समय जिन व्यय के मदों के लिए अंतिम वर्गीकरण एवं समर्थक अभिश्रव उपलब्ध नहीं हैं, उनपर आकस्मिक व्यय का आहरण 'संक्षिप्त आकस्मिक' (ए0सी0) विपत्रों पर शुरुआत में अग्रिम के तौर पर किया जाता है तथा इनका उत्तरवर्ती समायोजन विस्तृत आकस्मिक (डी0सी0) विपत्रों के प्रस्तुतीकरण के द्वारा संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र की निकासी से निर्धारित अवधि<sup>3</sup> के अंदर सुनिश्चित की जाती है। राज्य सरकार द्वारा वर्षों से संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर बड़े पैमाने पर निधियों का आहरण तथा पर्याप्त संख्या में संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों का विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के प्रस्तुतीकरण द्वारा समायोजित/समाशोधित न किया जाना इस समीक्षा का प्रमुख अनुचिन्तन है। इस अध्ययन के निष्कर्ष राज्य में वित्तीय प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता को सिद्ध करते हैं।

<sup>3</sup> शुरुआत में यह एक महीना था (बिहार कोषागार संहिता, 1937 का नियम 319) जैसा कि केन्द्रीय कोषागार संहिता (प्राप्ति एवं भुगतान नियम, 1983) में निहित है लेकिन अक्टूबर 2006 में इसे बदलकर छः महीने कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 194 के अंतर्गत कार्य विभागों को परियोजना कार्यों के लिए राशि आहरण के एक वर्ष के अंदर विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई।

### 3.2.2 लेखा परीक्षा के उद्देश्य

लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह निश्चित करना था कि—

- संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों एवं सहायता अनुदान विपत्रों पर निधियों का आहरण नियमों/संहिता प्रावधानों के अनुरूप था;
- संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों का विस्तृत आकस्मिक विपत्रों एवं सहायता अनुदान विपत्रों का उपयोगिता प्रमाण—पत्रों के द्वारा समायोजन नियमों के अनुकूल था तथा व्यय के वास्तविक स्थिति को प्रतिबिम्बित करता था;
- निधियों का आहरण तत्काल आवश्यकता हेतु उसी वित्तीय वर्ष में व्यय के लिए किया गया था अथवा जिस वित्तीय वर्ष में निधि आहरित की गई उसके बाद तक सरकारी खातों से विलग उन निधियों को पार्किंग कर रखा गया;
- अव्यवहृत राशि को उसी वित्तीय वर्ष में शीघ्रतम उपलब्ध अवसर पर सरकारी खाते में वापस किया गया।

### 3.2.3 लेखा परीक्षा का मापदण्ड

लेखा परीक्षा जाँच लेखा परीक्षा के मापदण्ड के निम्नलिखित नियमावलियों के प्रावधानों पर आधारित था:

- राज्य सरकार के संगत वर्षों के विनियोजन अधिनियम एवं संबंधित बजटीय कागजात;
- समय—समय पर संशोधित बिहार कोषागार संहिता 1937 जिसमें कि अंतिम बिहार कोषागार संहिता 2011 है, बिहार वित्तीय नियमावली, बिहार बजट नियमावली तथा बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता;
- समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी विनियम, आदेश एवं अनुदेश; तथा
- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार के कार्यालय में अनुरक्षित वी0एल0सी0 डाटाबेस;

### 3.2.4 लेखा परीक्षा का कार्य—क्षेत्र एवं प्रणाली

2009—10 से 2011—12 की अवधि में संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों से संबंधित सरकार के आहरणों/लेखों/संचालनों के प्रतिपादन के लिए संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर निधियों का आहरण तथा विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के प्रस्तुतीकरण की लेखा परीक्षा जून से अगस्त 2012 के दौरान की गयी। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कम्प्यूटरीकृत वाउचर लेवल (वी0एल0सी0) डाटाबेस<sup>4</sup> से प्राप्त संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों की आँकड़ों के व्याख्या के आधार पर, आर्ट<sup>5</sup> विभागों, जिनमें योजनाओं एवं अन्य गतिविधियों को कार्यान्वित करने हेतु संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर वृहत् राशि आहरित की गई थी, के अभिलेखों को आगे की जाँच के लिए रेखांकित किया गया। चूँकि आहरित विपत्रों की संख्या हजारों<sup>6</sup> में थी, आहरित विपत्रों/वाउचरों के साथ संगत अभिलेखों की डाटाबेस विश्लेषण तथा जोखिम—आधारित जाँच की गई। इसके लिए, पर्याप्त संख्या में लंबित विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के अप्रस्तुतीकरण के बारे में संबंधित

<sup>4</sup> वी0एल0सी0 डाटाबेस, वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य के संचित निधि में से/को किए गए खर्चों/प्राप्तियों के समर्थन में प्रारंभिक एवं लेखे एवं वाउचर/चालान के आधार पर, राज्य सरकार के लेन—देन के विवरण को समाविष्ट करता है। वित्तीय वर्ष के दौरान आहरित संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र भी तदनुसार वी0एल0सी0 आँकड़ा संचय में अभिगृहित किए जाते हैं। वी0एल0सी0 आँकड़ा संचय का विश्लेषण संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर निधियों के आहरण के महत्व एवं परमात्रा तथा उनके उद्देश्य के व्यापक परिदृश्य के निष्कर्ष का प्रभावी उपकरण है।

<sup>5</sup> (i) भवन निर्माण, (ii) शिक्षा, (iii) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, (iv) गृह (पुलिस), (v) योजना एवं विकास, (vi) ग्रामीण कार्य, (vii) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा (viii) शहरी विकास एवं भवन निर्माण।

<sup>6</sup> 2009—10 से 2011—12 के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा कुल मिलाकर 3375 संक्षिप्त आकस्मिक एवं 34375 सहायता अनुदान विपत्र आहरित किए गए।

### अध्याय 3—वित्तीय रिपोर्टिंग

आहरण एवं संवितरण अधिकारियों, जहाँ प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ और अधिक की राशि के विपत्र आहरित किए गए थे, को लेखा परीक्षा प्रश्न भेजे गए। लेखा-परीक्षा अवलोकनों को तैयार करते समय हमारे द्वारा उठाए गए प्रारंभिक प्रश्नों के प्रत्युत्तर को भी दृष्टिगत किया गया है।

लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ अक्टूबर 2012 में वित्त विभाग, बिहार सरकार को अग्रसारित किए गए। जवाब में (नवम्बर 2012) कुछ मामलों में विभाग ने टिप्पणियाँ भेजी और कहा कि चूँकि अन्य प्रशासनिक विभाग भी मामले से संबंधित हैं, उनके जवाब बाद में भेजे जाएँगे। अब तक (दिसम्बर 2012) प्राप्त जवाबों को संबंधित कंडिकाओं में उपर्युक्त रूप से समाहित किया गया है।

#### 3.2.5 लेखा परीक्षा की बाध्यताएँ

बिहार कोषागार संहिता 1937 के अंतर्गत, संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर निधियों के आहरण के लिए प्रपत्र टी0सी0-38 का प्रयोग विहित है तथा सहायता अनुदानों के आहरण के लिए प्रपत्र टीसी0-60 निर्धारित किया गया। तथापि लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि सहायता अनुदानों के आहरण के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रावधानित प्रपत्र के अलावा अन्य प्रपत्रों का भी प्रयोग किया गया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न शीर्षों के तहत आहरित निधियों का कोषागारों तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा गलत वर्गीकरण के मामले भी थे। ये लेखा परीक्षा की बाधाएँ बनीं क्योंकि आकस्मिक प्रभारों जिन्हें संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित किया जा सकता है तथा सहायता अनुदानों के बीच सुस्पष्ट रेखांकन का पालन नहीं किया गया।

#### 3.2.6 उच्च ए0सी0 विलों पर आहरण से संबंधित मामले

##### 3.2.6.1 परिमाण के संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र

वी0एल0सी0 आँकड़ा संचय में संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के आहरण के विश्लेषण तथा प्रशासनिक विभागों के अभिलेखों के नमूना जाँच से पता चला कि 2009-12 के दौरान संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित राशियों का परिमाण असामान्य रूप से अधिक था जैसा कि तालिका 3.1 में नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 3.1 उच्च परिमाण के संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र

(₹ करोड़ में)

| वर्ग                            | 2009-10        |              | 2010-11                    |              | 2011-12        |             |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------|-------------|
|                                 | राशि           | संख्या       | राशि                       | संख्या       | राशि           | संख्या      |
| ₹ एक लाख तक                     | 14.56          | 4135         | 12.25                      | 3475         | 11.50          | 3227        |
| ₹ एक लाख एक से एक करोड़ तक      | 1440.48        | 8138         | 1581.04                    | 7902         | 507.46         | 4862        |
| ₹ एक करोड़ एक से ₹ दस करोड़ तक  | 1066.94        | 376          | 2453.49                    | 951          | 1339.81        | 460         |
| ₹ दस करोड़ एक से ₹ 100 करोड़ तक | 1252.38        | 55           | 1913.85                    | 82           | 1899.46        | 74          |
| ₹ 100 करोड़ से ऊपर              | 268.84         | 2            | 1059.85                    | 5            | 1216.21        | 7           |
| <b>कुल</b>                      | <b>4043.20</b> | <b>12706</b> | <b>7020.48<sup>7</sup></b> | <b>12415</b> | <b>4974.44</b> | <b>8630</b> |

(स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार कार्यालय में अनुरक्षित वी0एल0सी0 डाटाबेस)

₹ एक लाख और ऊपर से अधिक मान के (सैकड़ों करोड़ तक) संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र, 2009-12 के दौरान संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर कुल आहरित निधि का, 99.76 प्रतिशत थे। असामान्य उच्च परिमाण के बहुत सारे आकस्मिक विपत्रों ने संकेतित किया कि सरकार के नियमित खर्चों की पूर्ति के लिए संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र आहरण विधि का आश्रय नित्यचर्या के रूप में अपनाई गई। प्रशासनिक विभागों के अभिलेखों के नमूना जाँच ने उद्धृत किया कि योजना एवं गैर योजना तथा राजस्व एवं पूँजीगत शीर्षों दोनों में योजनाओं के कार्यान्वयन के ज्यादातर आहरण एकमुश्त आधार पर हुए।

<sup>7</sup> वित्तीय वर्ष 2010-11 के बिहार सरकार के वित्त लेखे के अनुसार ₹ 7015.37 करोड़ निकासी था जिसमें ₹ 4033.72 करोड़ सहायता अनुदान की राशि सम्मिलित थी।

इस ओर इंगित किए जाने पर (अक्टूबर 2012), वित्त विभाग ने कहा कि प्रशासनिक विभागों द्वारा निगमों एवं समितियों के माध्यम से योजना/निर्माण कार्यों के लिए एवं मुख्यालय स्तर पर आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा कार्यक्रमों को पूरे राज्य में कार्यान्वित करने के लिए निधियों का आहरण उच्च परिमाण के संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के आहरण के रूप में फलित हुए। आगे यह कहा गया कि ऐसे मामलों में विस्तृत आकस्मिक विपत्रों का प्रस्तुतीकरण संभव नहीं था क्योंकि प्रपत्र टी0सी0-39 (बिहार कोषागार संहिता 1937 के अनुसार) विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के इस प्रकार के अग्रिम आहरण के प्रस्तुतीकरण के लिए नहीं है।


सरकार द्वारा संक्षिप्त आकस्मिक आहरण के माध्यम से योजनाओं पर पूँजीगत एवं राजस्व व्यय के लिए विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के प्रस्तुतीकरण में असमर्थता की स्वीकारोक्ति, क्योंकि प्रपत्र टी0सी0-39 विस्तृत आकस्मिक विपत्र के इस प्रकार के व्यय के लिए नहीं था, लेखा परीक्षा के इस तर्क को पुष्ट किया कि ऐसे एकमुश्त आहरण संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र पर आहरण के योग्य नहीं थे। बिहार कोषागार संहिता 1937 के नियम 320 के अनुसार, जो कि सितम्बर 2011 तक प्रचलन में था, संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित निधियों को प्रपत्र टी0सी0-39 में विस्तृत आकस्मिक विपत्र के प्रस्तुतीकरण के द्वारा ही समायोजित किया जाना था। नए बिहार कोषागार संहिता 2011 के लागू होने के साथ ही विभागों के लिए यह आवश्यक है कि इस प्रकार के आहरण के लिए विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत करें।

पुनः नैत्य रूप में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत नियमित व्यय के लिए संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र के माध्यम से आहरण आकस्मिक व्यय की तरह आहरण के आधारभूत सिद्धांतों का उल्लंघन था। जहाँ तक मुख्यालय स्तर पर केन्द्रीकृत आहरण का संबंध है, विभाग को केन्द्रीय कोषागार प्रबंधन सूचना तंत्र की सहायता से जिला प्राधिकार स्तर पर आहरण की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए थी। इससे आहरण एवं संवितरण अधिकारियों/मध्यस्थ अभिकरणों द्वारा निधियों के प्रतिधारण समय में कमी के द्वारा पारगमन विलंब को कम किया जा सकता था तथा ऑनलाइन हस्तांतरण द्वारा निधियों की तत्क्षण उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती थी जहाँ अंतिम रूप से इन निधियों को खर्च करने की आवश्यकता थी जैसा कि कंडिका 3.2.6.5 में वर्णित है।

### 3.2.6.2 मार्च महीने में संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों का आहरण

राज्य सरकार के स्थायी आदेश (संख्या 2561, वर्ष 1998 में विहित है कि विशेष परिस्थितियों जब विषम अनुपात में खर्च की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, को छोड़कर सरकारी व्यय को वर्ष के दौरान समान रूप से विस्तारित किया जाना चाहिए। इस प्रकार विनियोजनों को व्ययगत होने से बचाने के लिए अंतिम माहों में किए गए सघन व्यय नियमों के विपरीत हैं।

नीचे दी गई सारणी 2007-08 से 2011-12 के दौरान मार्च महीने की तुलना में संचित निधि से कुल आहरण की प्रवृत्ति को चित्रित करता है:



(स्रोत: वी.एल.सी. डाटाबेस एवं संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

ऊपर दी गई सारणी चित्रित करता है कि 2007–12 के दौरान मार्च महीने में आहरित राशि वर्ष के दौरान संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र पर आहरित निधियों के 29 प्रतिशत से 54 प्रतिशत के बीच थी यद्यपि विगत तीन वर्षों में मार्च महीने में संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के माध्यम से निधियों के आहरण की प्रतिशतता में सीधी कमी आई। जैसा कि पहले इंगित किया गया है, प्रत्येक मामले के मार्च महीने में उच्च परिमाण की राशि के साथ वृहत् निकासी इस तथ्य को दर्शाता है कि संबंधित वित्तीय वर्ष में इस प्रकार के आहरणों के व्यय की उम्मीद बहुत कम थी और आहरण सिर्फ विनियोजन को व्यपगत होने से बचाने के लिए किए गए।

इस ओर इंगित करने पर (अक्टूबर 2012), वित्त विभाग ने कहा (नवम्बर 2012) कि मार्च महीने में निधियों का आहरण निर्माण कार्यों, जो कि जनवरी से जून के दौरान चरम पर होते हैं, के लिए निधि के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करना था। जवाब, लेखा परीक्षा की टिप्पणी को वैधकृत करता है कि मार्च में आहरित निधियाँ वस्तुतः वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च नहीं की जाती हैं। पुनः, आगत वित्तीय वर्ष में व्यय के लिए मार्च में निधियों के आहरण के बजाए अगले वित्तीय वर्ष के बजट प्राक्कलन में ही इस उद्देश्य के लिए विनियोजन की मांग की जानी चाहिए।

विभाग ने आगे कहा कि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के मामले में मार्च महीने में केन्द्रीय हिस्से की प्राप्ति मार्च महीने में ही अनुपातिक राज्य हिस्से को जारी करने का अकाट्य कारक है। लेखा परीक्षा का मत है कि संहिता के प्रावधानों की अवज्ञा के बजाए मामले को भारत सरकार के साथ उठाना ज्यादा उपयुक्त होगा।

तथ्य यह है कि बिना वास्तविक व्यय के मार्च महीने में निधियों का आहरण राजकोषीय अनुशासनहीनता का सूचक है।

#### **3.2.6.3 योजना व्यय/पूँजीगत व्यय के लिए संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर निधियों का आहरण**

योजना व्यय केन्द्रीय/राज्य योजना के कार्यक्रम/योजना/परियोजना के सुस्पष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति को लक्षित है। अतः ये काफी पूर्व नियोजित होते हैं तथा संबंधित परियोजना/योजना विवरण में परिकल्पित विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उद्दिष्ट होते हैं। इस प्रकार इन परियोजनाओं/योजनाओं के अंतर्गत योजना व्यय मद में भुगतान के लिए संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के मार्ग द्वारा धन के आहरण का कोई अवसर नहीं होना चाहिए। तथापि बिहार कोषागार संहिता 2011 को नियम 194 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों द्वारा योजना व्यय के आहरण को अनुमत करता है।

नीचे दी गई तालिका 2009–10 से 2011–12 के दौरान कुल संक्षिप्त आकस्मिक आहरणों की तुलना में राज्य सरकार के योजना व्यय के लिए संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के आहरण को चित्रित करता है:

तालिका 3.2 : 2009-12 के दौरान योजना व्यय के लिए संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों का आहरण

(₹ करोड़ में)

| वर्ष       | कुल संक्षिप्त आकस्मिक आहरण | योजना व्यय के लिए संक्षिप्त आकस्मिक आहरण |                                     |                      |  | कुल संक्षिप्त आकस्मिक आहरण की प्रतिशतता के रूप में) |
|------------|----------------------------|--|-------------------------------------|----------------------|--|---|
|            |                            | केन्द्रीय योजना (सी0पी0एस0)              | केन्द्र प्रायोजित योजना (सी0एस0एस0) | राज्य योजना (एस0पी0) | कुल (कुल संक्षिप्त आकस्मिक आहरण की प्रतिशतता के रूप में) |   |
| 2009-10    | 4043.20                    | 7.11                                     | 709.79                              | 2293.66              | 3010.56 (74)   |   |
| 2010-11    | 7015.37                    | 60.16                                    | 1289.57                             | 4286.19              | 5635.92 (80)   |   |
| 2011-12    | 4974.44                    | 46.55                                    | 424.84                              | 3214.77              | 3686.16 (74)   |   |
| <b>कुल</b> | <b>16033.01</b>            | <b>113.82</b>                            | <b>2424.20</b>                      | <b>9794.62</b>       | <b>12332.64 (77)</b>                                     |   |

(स्रोत: वी0एल0सी0 डाटाबेस)

2009-12 के दौरान संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित ₹ 16033.01 करोड़ की राशि में से योजना शीर्ष में आहरण (पूँजीगत प्रकृति के व्यय को मिलाकर) ₹ 12332.64 करोड़ का (77 प्रतिशत) था। इनमें से राज्य योजना शीर्ष आहरण ₹ 9794.62 करोड़ (योजना शीर्ष आहरणों का 79 प्रतिशत) का था। संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र से योजना शीर्ष के अंतर्गत निधियों का आहरण इस तथ्य का संकेतक था कि वस्तुनिष्ठ स्तरीय योजना (Object Level Planning) अनुपस्थित था, राशि के आहरण के समय व्यय के मद की जानकारी नहीं दी गयी थी और इस प्रकार कार्यान्वयन रीति के अंतिम रूप मिलने की प्रतीक्षा में भावी उपयोग के लिए एवं विनियोजन को व्यपगत होने से बचाने के लिए ही धन का आहरण किया गया। परिणामस्वरूप, तत्काल आवश्यकता के बहाने इस प्रकार आहरित सरकारी निधियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संचित निधि से बाहर रखने की अनुमति दी गई तथा उन्हें या तो व्यक्तिगत जमा खातों, प्रेषण शीर्ष अथवा बैंक खातों में रखा गया। उदाहरण के तौर पर कुछ मामले कंडिका संख्या 3.2.6.4 से 3.2.6.6 में दिए गए हैं। वित्त विभाग ने लंबित संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों की बड़ी संख्या योजना शीर्ष से संबंधित मानते हुए (नवंबर 2012) कहा कि बिहार कोषागार संहिता 1937 बहुत पुरानी होने के कारण सार्वजनिक वित्त के बदलते स्वरूप के अनुसार नहीं था तथा आकस्मिकता के अंतर्गत खुदरा खर्चों को उपबन्धित करता था। विगत वर्षों के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन से योजना शीर्ष के तहत व्यय में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि योजना शीर्ष में व्यय किसी भी प्रकार से प्रासंगिक प्रकृति का नहीं है एवं इनका व्यय संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के बजाए नियमित विपत्रों से होना चाहिए।

### 3.2.6.4 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर निधियों का आहरण एवं निष्पादी अभिकरणों के पास प्रतिधारण

2008-12 की अवधि के दौरान निर्माण कार्य के लिए संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र के ₹ 214.72 करोड़ (परिशिष्ट 3.1) के आहरण के नमूना जाँच के परिणाम नीचे चित्रित किए गए हैं:

- 2009-11 के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उन्नयन, अतिरिक्त प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अनुमंडलीय अस्पतालों आदि के निर्माण के लिए ₹ 171.64 करोड़ के संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र आहरित किए गए तथा बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (बी0एम0एस0आई0सी0) को उपबन्धित किए गए। कोई व्यय नहीं हुआ और पूरी निधि अव्यवहृत रही (अगस्त 2012)। (परिशिष्ट 3.1 के क्रम संख्या 1 से 3 देखें)।



- 2008—12 के दौरान, अवर सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने जननायक कर्पूरी ठाकुर पिछड़ा वर्ग छात्रावास के निर्माण के लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (बी0आर0पी0एन0एन0एल0) को ₹ 29.51 करोड़ सीधे उपबंधित किए। पुनः 2010—11 के दौरान बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (बी0एस0बी0सी0एफ0डी0सी0) को ₹ 10.74 करोड़, उसी उद्देश्य के लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को प्रेषण के लिए, हस्तांतरित किए गए। ₹ 16.01 करोड़ की राशि (उपबंधित निधि का 54 प्रतिशत) बिहार राज्य पुल निर्माण निगम एवं ₹ 10.74 करोड़ की राशि (उपबंधित निधि का शत-प्रतिशत) बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम में अव्यवहृत रही (अगस्त 2012)। (परिशिष्ट 3.1 के क्रम संख्या 4 एवं 5 देखें) ।
- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा मीठापुर, पटना में हैचरी (Hatchery) के निर्माण के लिए ₹ 2.12 करोड़ आहरित किए गए (2010—11) और मार्च 2011 में सलाह (consultancy) एवं हैचरी प्रारूप (Hatchery Design) उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान (सी0आई0एफ0ई0), मुम्बई को हस्तांतरित किए गए। तथापि, समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) के हस्ताक्षरित न होने के कारण कार्य की शुरुआत न होने से निधि अव्यवहृत रही। (परिशिष्ट 3.1 का क्रम संख्या 6 देखें) ।
- वन एवं पर्यावरण विभाग ने गाड़ियों की खरीद के लिए संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र संख्या 154/2010—11 पर आहरित 70.50 लाख की राशि के आहरण की स्वीकृति देते समय (मार्च 2011) उसी वित्तीय वर्ष में योजना को निष्पादित करने में दिक्कत की स्थिति में निधि को बिहार राज्य वन विकास अभिकरण (बी0एस0एफ0डी0ए0) के खातों में जमा कराने के लिए निदेशित किया। (परिशिष्ट 3.1 का क्रम संख्या 7 देखें) ।

विभाग ने अपने जवाब में कहा (सितम्बर 2012) कि चूँकि निधि के आहरण की स्वीकृति मार्च के अंत में दी गई, अतः बिहार राज्य वन विकास अभिकरण में राशि को जमा कराने का निर्देश दिया गया। जवाब लेखा परीक्षा के इस दावे की पुष्टि करता है कि निधियों का आहरण बिना तत्काल आवश्यकता के किया गया।

- अन्य विभागों के जवाब प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2012)।

### 3.2.6.5 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित राशि का आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के पास प्रतिधारण

संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, राज्य सरकार अधिकृत विनियोजन के अंतर्गत उसी वित्तीय वर्ष के दौरान धन खर्च कर सकती है। पुनः, बिहार कोषागार संहिता 1937 के नियम 300 के नीचे दी गई टिप्पणी एवं बिहार कोषागार संहिता 2011 का नियम 177 उपबंधित करता है कि राशि का अव्ययित शेष शीघ्रतम उपलब्ध अवसर पर उसी वित्तीय वर्ष में जिसमें राशि आहरित की गई है, कोषागार को वापस की जानी चाहिए। नमूना जाँच के क्रम में निर्माण उद्देश्य के लिए निधियों के आहरण तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के पास उनके अनियमित प्रतिधारण के निम्नलिखित उदाहरण देखे गए:

तालिका 3.3: निर्माण उद्देश्य के लिए निधियों का आहरण

(₹ करोड़ में)

| क्रम संख्या | उद्देश्य                       | संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र संख्या | राशि          | आहरण का माह | आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम | हस्तांतरण का माह   | कैसे हस्तांतरित किया गया  | अभ्युक्तियाँ  |
|-------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------|---------------------------------|--------------------|---|---|
| 1.          | ए०डब्ल्यू० सी० का निर्माण      | 125/09-10                       | 99.96         | 03/2010     | लेखा अधिकारी आई.सी.डी.एस.       | 09/2010            | बी०सी०डी  | अक्टूबर 2010 में राशि पाटलिपुत्र भवन                |
|             |                                |                                 |               |             |                                 |                    | प्रमण्डल को हस्तांतरित कर दी गई। पाटलिपुत्र भवन प्रमण्डल 38 भवन निर्माण प्रमंडलों के लिए ₹ 96.88 करोड़ बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त किया (जनवरी 2011) लेकिन प्रमंडलों को जुलाई 2011 तक हस्तांतरित किए एवं ₹ 3.08 करोड़ अपने पास रखे। |   |
| 2.          | ए.एच.डी. के लिए भवन का निर्माण | 160/10-11                       | 18.13         | 03/2011     | ई०ई०आहरण प्रमंडल 2, पटना        | 06/2011 से 02/2012 | संबंधित ई०ई०  | संरचना प्रमंडल 2, पटना ने ₹ 9.78 करोड़ अपने पास रखे |
| 3.          | ई-किसान भवन का निर्माण         | 256/10-11                       | 2.86          | 03/2011     | डी०ए०ओ०, मधेपुरा                | 04/2012            | डी०ई०, जिला परिषद, मधेपुरा  | डी०ए०ओ०ने ₹ 1.52 करोड़ जुलाई 2012 तक अपने पास रखे   |
| 4.          |                                | 58/10-11                        | 0.80          | उपलब्ध नहीं | डी०ए०ओ०, बक्सर                  | -                  | संबंधित बी०डी०ओ० एवं ई०ई०   | डी०ए०ओ०ने ₹ 22 लाख जुलाई 2012 तक अपने पास रखे       |
| 5.          |                                | 77/10-11                        | 1.63          |             |                                 |                    |   |   |
|             |                                | <b>योग</b>                      | <b>123.38</b> |             |                                 |                    |   |   |

टिप्पणी : 1. ई०ई० से तात्पर्य कार्यपालक अभियंता, 2. डी०ए०ओ० से तात्पर्य जिला कृषि पदाधिकारी, 3. बी०डी०ओ० से तात्पर्य प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, 4. बी०सी०डी० से तात्पर्य भवन निर्माण विभाग, 5. बी०सी०डी०एन० से तात्पर्य भवन निर्माण प्रमंडल, 6. ए०एच०डी० से तात्पर्य पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, 7. ए०डब्ल्यू०सी० से तात्पर्य आंगनबाड़ी केंद्र, 8. डी०ई० से तात्पर्य जिला अभियंता।

उपर्युक्त उदाहरणों ने आगे संकेतित किया कि तत्काल भुगतान के बहाने संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर निर्माण के उद्देश्य से अनियमित रूप से आहरित सरकारी निधियाँ (₹ 123.38 करोड़) या तो अनियमित रूप से स्वयं ही आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा प्रतिधारित किया गया अथवा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद दो महीने से एक वर्ष तक की देरी से निष्पादी प्रमंडलों/अभिकरणों को हस्तांतरित किए गए। पुनः बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 177 के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा कि आकस्मिक विपत्रों पर आहरित राशि को उसी वित्तीय वर्ष में व्ययित कर दिया जाएगा। तथापि, उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष में खर्च करने के लिए बिना किसी अधिकार के निधियों को अग्रेनीत किया गया।

### 3.2.6.6 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित राशि का प्रेषण शीर्ष में अव्ययित पड़े रहना

वित्त विभाग ने पत्र संख्या 7036 दिनांक सितम्बर 2006 के द्वारा संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर निधियों के आहरण की विशेष रूप से मनाही की थी जहाँ कि इन्हें निर्माण उद्देश्यों के लिए कार्य विभाग को हस्तांतरित किया जाना है। तथापि, 2008-09 से 2010-11 के बीच पाँच मामलों में संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर ₹ 7.28 करोड़ का आहरण निर्माण उद्देश्यों के लिए हुआ जिसे बाद में कार्य निष्पादन के लिए मुख्य शीर्ष-8782 नकद प्रेषण द्वारा भवन निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया गया। तथापि, जुलाई 2012 की पूरी राशि अव्यवहृत रही (विवरण परिशिष्ट 3.2 में दी गई है)।

### 3.2.7 विस्तृत आकस्मिक विपत्रों का प्रस्तुतीकरण

बिहार कोषागार संहिता 2011 का नियम 177 उपबंधित करता है कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा कि आकस्मिक विपत्र पर आहरित धन उसी वित्तीय वर्ष में व्ययित कर दिया जाएगा तथा अव्ययित राशि वर्ष के 31 मार्च के पूर्व कोषागार को प्रेषित कर दी जाएगी। पुनः बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 194 के अनुसार जिस महीने संक्षिप्त विपत्र आहरित की गयी थी उसके छः महीने<sup>8</sup> के अंदर प्रतिहस्ताक्षरित विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत कर दी जाएगी तथा इस छः महीने की अवधि की समाप्ति के बाद कोई संक्षिप्त विपत्र भुनाई नहीं जाएगी यदि विस्तृत विपत्र प्रस्तुत नहीं की जाती।

31 अगस्त 2012 को ₹ 18797.90 करोड़ की राशि के 66847 विस्तृत आकस्मिक विपत्र महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रस्तुति के लिए लंबित थे जैसा कि नीचे तालिका संख्या 3.4 में वर्णित है:

तालिका 3.4 : बकाया विस्तृत आकस्मिक विपत्रों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

| वर्ष       | आहरित संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र |                        | प्राप्त विस्तृत आकस्मिक विपत्र |          | बकाया विस्तृत आकस्मिक विपत्र |          |
|------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------|------------------------------|----------|
|            | संख्या                         | राशि                   | संख्या                         | राशि     | संख्या                       | राशि     |
| 2008-09 तक | 58423                          | 14272.48               | 16867                          | 6953.09  | 41556                        | 7319.39  |
| 2009-10    | 12706                          | 4043.20                | 2984                           | 1150.20  | 9722                         | 2893.00  |
| 2010-11    | 12413                          | 7015.37 <sup>(9)</sup> | 4645                           | 3153.95  | 7768                         | 3861.42  |
| 2011-12    | 8626                           | 4974.42                | 825                            | 250.33   | 7801                         | 4724.09  |
| कुल        | 92168                          | 30305.47               | 25321                          | 11507.57 | 66847                        | 18797.90 |

(स्रोत : वर्ष 2011-12 के लिए बिहार सरकार के राज्य वित्त लेखे)

वित्त विभाग ने अपने जवाब में कहा (नवम्बर 2012) कि ₹ 26260.09 करोड़ (2002-03 से और 30 सितम्बर 2012 तक) के लंबित संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के विरुद्ध ₹ 16196.38 करोड़ के विस्तृत आकस्मिक विपत्र महालेखाकार को प्रस्तुत किए जा चुके हैं जिसमें से ₹ 12719.27 करोड़ के विस्तृत आकस्मिक विपत्र समायोजित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त, विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के समायोजन तक संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के वेतन भुगतान रोककर सरकार ने सख्त कार्रवाई की है।

तथापि, यह तथ्य मौजूद है कि अभी तक सिर्फ 48 प्रतिशत लंबित संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र समायोजित हुए हैं (30 सितम्बर 2012)।

#### 3.2.7.1 विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के नमूना जाँच के परिणाम

नमूना जाँच में विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के प्रस्तुती से संबंधित नियमों के उल्लंघन की निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गयी :-

- पथ निर्माण विभाग में यह देखा गया कि अवर सचिव (लेखा) ने 2006-07 से 2011-12 के बीच 12 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर ₹ 1541 करोड़ आहरित किया तथा 'मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना' के अंतर्गत सड़क पुल निर्माण के लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड को अग्रिम भुगतान किया:

<sup>8</sup> अक्टूबर 2006 तक बिहार कोषागार संहिता में विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के प्रस्तुती की अवधि मात्र एक महीने थी। केन्द्रीय कोषागार संहिता (या केन्द्रीय प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली 1983) विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के प्रस्तुती की अवधि मात्र एक महीने उपबंधित करता है।

<sup>(9)</sup> वर्ष 2010-11 के लिए वित्त लेखे के अनुसार ₹ 7015.37 करोड़ में से ₹ 4033.72 करोड़ सहायता अनुदान की राशि थी।

यह देखा गया कि 2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिए ₹ 1005 करोड़ के छः संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के विरुद्ध ₹ 833.26 करोड़ के विस्तृत आकस्मिक विपत्र 33 महीने तक की विलंब के बाद जुलाई 2010 में प्रस्तुत किए गए। तत्पश्चात्, सितम्बर 2010 से सितम्बर 2011 के दौरान ₹ 537.15 करोड़ के विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत किए गए तथा मार्च 2012 को विभाग द्वारा ₹170.59 करोड़ के विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत करना बाकी था। (परिशिष्ट 3.3 के क्रम संख्या 1-12 देखें)।

- इसी प्रकार, मानव संसाधन विकास विभाग में, 2004-05 से 2010-11 की अवधि के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर ₹ 2609.05 करोड़ की निधियाँ आहरित की गयीं। इसके विरुद्ध अप्रैल 2012 तक ₹ 1919.39 करोड़ (₹ 462.78 करोड़ की वापसी सहित) के विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार, अप्रैल 2012 को ₹ 772.66 करोड़ के शेष विस्तृत आकस्मिक विपत्र विभाग द्वारा प्रस्तुती के लिए लंबित थे। (परिशिष्ट 3.3 के क्रम संख्या 13-64 देखें)।
- गृह (पुलिस) विभाग में, 2009-12 के दौरान महानिरीक्षक (प्रोविजन) द्वारा ₹ 700.10 करोड़ के संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र आहरित किए गए। तथापि, ₹ 695.11 करोड़ की राशि (99.29 प्रतिशत) आज की तिथि में (अगस्त 2012) असमायोजित रही (परिशिष्ट 3.3 का क्रम संख्या 65 देखें)।
- ₹ 169.19<sup>10</sup> करोड़ की राशि के तीन संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उन्नयन, स्वास्थ्य उप केन्द्रों (एच0एस0सी0) एवं अनुमण्डल अस्पतालों के निर्माण के लिए सिविल सर्जन, पटना द्वारा आहरित (31 मार्च 2009) किए गए। पूर्वोक्त संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों को विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के माध्यम से समायोजित कर लिया गया था। तथापि, राज्य स्वास्थ्य समिति (एस0एच0एस0) द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों में पाया गया कि निधियाँ अव्ययित रही और राज्य स्वास्थ्य समिति के पास (₹ 118.00 करोड़ एवं ₹ 30.91 करोड़) तथा बी0एम0एस0आई0सी0 (₹ 20.38 करोड़) के पास पड़ी थीं। इस प्रकार, धन के स्थानान्तरण के अभिलेखों के आधार तथा व्यय के बिना विस्तृत आकस्मिक विपत्रों की प्रस्तुती अनियमित था (परिशिष्ट 3.3 के क्रम संख्या 66 से 68 देखें)। शेष मामलों में सरकार के जवाब नवम्बर 2012 तक प्राप्त नहीं हुए थे।

इस प्रकार, नमूना जाँच के 68 मामले जिनमें 2004-05 से 2010-11 के दौरान आहरित कुल ₹ 5102.44 करोड़ के संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र सम्मिलित हैं, ₹ 1638.36 करोड़ के विस्तृत आकस्मिक विपत्र एक से सात वर्षों की अवधि से लंबित थे।

### 3.2.8 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित राशि का बिना उपयोग वापसी

बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 177 के अनुसार अग्रिम आहरण का कोई भी शेष वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व सरकारी खजाने में जमा की जानी चाहिए।

तथापि नमूना जाँच में यह पाया गया कि नौ मामलों में, जैसा कि **परिशिष्ट 3.4** में वर्णित है, 2003-04 से 2011-12 की अवधि के दौरान संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित ₹ 3055.04 करोड़ की राशि के विरुद्ध, चार मामलों में ₹ 51.11 करोड़ की पूरी आहरित राशि की वापसी सहित अप्रयुक्त निधियों को दो महीने से लेकर 99 महीनों की अवधि तक रोके रहने के बाद ₹ 631.76 करोड़ की राशि वापस की गई।

<sup>10</sup> ₹ 118.00 करोड़, ₹ 30.91 करोड़ तथा ₹ 20.38 करोड़।

### 3.2.9 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर निधि आहरण तथा सरकारी लेखे से बाहर पार्किंग

संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित निधियों का बड़ा हिस्सा, जिस वित्तीय वर्ष में राशि आहरित हुई उसकी समाप्ति के बाद भी, या तो आहरण एवं संवितरण अधिकारियों अथवा निष्पादी अभिकरणों के पास पड़ी थीं तथा विभिन्न व्यक्तिगत जमा खातों तथा बैंक खातों में रखी गई थीं। संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित और सरकारी खातों के बाहर रखी गई निधियों, जैसा कि नमूना जाँच किए गए विभागों/कार्यालयों में परिलक्षित हुआ, की समग्र तस्वीर ने प्रतिबिम्बित किया कि 31 मार्च 2012 को, ₹ 576.83 करोड़ की राशि के आहरित निधियों में से, ₹ 271.38 करोड़ (तीन सार्वजनिक उपक्रमों— ₹ 215.71 करोड़, ग्यारह जिला कार्यालयों— ₹ 55.67 करोड़) विभिन्न बैंक खातों में जमा थी जैसा कि (परिशिष्ट 3.5) में दर्शाया गया है।

यद्यपि ऊपर के मामलों में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुए, मुख्यमंत्री योग्यता छात्रवृत्ति योजना से संबंधित एक मामले में, जिसमें ₹ 17.32 करोड़ बैंक खातों में जमा थे, विभाग ने जवाब दिया (अगस्त 2012) कि योजना के अंतर्गत 2012-13 के दौरान अपर्याप्त बजटीय प्रावधान के आलोक में छात्रवृत्ति के भुगतान में अनुमानित व्यय की पूर्ति के लिए विभाग ने ₹ 17.32 करोड़ की अव्ययित राशि को अगले वित्तीय वर्ष 2012-13 में अग्रनयन का निर्णय लिया था। जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि बिहार कोषागार संहिता का नियम 177 कार्यपालिका को उसी वित्तीय वर्ष में अधिकृत विनियोजन की सीमा में व्यय की अनुमति देता है। बजटीय प्रावधान से अधिक निधियों की आवश्यकता के मामले में, बिहार बजट नियमावली का नियम 117 पूरक अनुदान लेना उपबंधित करता है।

### 3.2.10 सहायता अनुदान से संबंधित मुद्दे

#### 3.2.10.1 प्रस्तावना

सहायता अनुदान मद के अनुदान, धार्मिक, चैरिटेबुल या शैक्षणिक संस्थान वृत्तिका, छात्रवृत्ति, सार्वजनिक प्रदर्शनियों को अंशदान इत्यादि सम्मिलित हैं। बिहार वित्तीय नियमावली का नियम 341 (2) कहता है कि वित्तीय वर्ष के दौरान उतनी ही अनुदान का भुगतान करना चाहिए जितनी कि वर्ष के दौरान व्यय का अनुमान है, बिहार कोषागार संहिता 1937 के नियम 431 तथा बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 270 के अंतर्गत सहायता अनुदान के लिए विपत्र हस्ताक्षरित या प्रतिहस्ताक्षरित करने वाले अधिकारी को देखना चाहिए कि आवश्यकता से पहले धन का आहरण न हो। मार्च महीने में इन अनुदानों के सघन भुगतान का कोई अवसर नहीं होना चाहिए। पुनः वित्त विभाग का कार्यपालक आदेश संख्या 573 दिनांक 16 जनवरी 1975 ने उपयोगिता प्रमाण-पत्र देने के लिए संस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष की समय सीमा निर्धारित की। तथापि, कार्यपालक आदेश 9736 दिनांक 19 अक्टूबर 2011 के द्वारा इस समय सीमा को संशोधित कर 18 महीना कर दिया गया।

निम्नलिखित उदाहरणस्वरूप मामले सहायता अनुदानों की तरह निधियों के आहरण एवं उनकी उपयोगिता की स्थिति को उत्तरवर्ती अनुच्छेदों में उद्घाटित करेंगे।

#### 3.2.10.2 सहायता अनुदान विषय शीर्ष (3101) (Object Heads) के अलावा विषय शीर्ष (Object Heads) के अंतर्गत सहायता अनुदान का आहरण

विधायिका द्वारा पारित विनियोजन अधिनियम कार्यपालिका को विभिन्न विषय शीर्षों<sup>11</sup> के अंतर्गत उपबंधित तरीके से और उद्देश्य के लिए निधियों के आहरण/व्यय का प्राधिकार देता है। 2011-12 तक सहायता अनुदान का आहरण बजट प्रावधानों के अनुसार विषय शीर्ष 3101 में होना था। तथापि, यह देखा गया कि ₹ 14443.68 करोड़ के सहायता

<sup>11</sup> लघुशीर्ष/उपशीर्ष में व्यय का विषय शीर्ष व्यय की अंतिम प्रकृति एवं उद्देश्य को परिभाषित करता है।

अनुदान आहरण में सहायता अनुदान विषय शीर्ष से विलग 14 विषय शीर्षों<sup>12</sup> के अंतर्गत आहरित ₹ 8005.62 करोड़ (55.42 प्रतिशत) की राशि शामिल थी जैसा कि वर्ष 2011-12 के लिए राज्य वित्त लेखे के टिप्पणी 7 में इंगित है। सहायता अनुदान का अलग विषय शीर्ष में आहरण, जो कि सहायता अनुदान आहरण के लिए नहीं बनाए गए थे, गलत था।

वित्त विभाग ने अपने जवाब (नवम्बर 2012) में स्वीकार किया कि यह अनभिप्रेत त्रुटि थी। तथ्य यह है कि ऐसी अनियमितताएँ सरकार के अपर्याप्त बजटीय प्रबंधन को संकेतित करते हैं।

### 3.2.10.3 सहायता अनुदान विपत्रों पर निधियों का आहरण एवं निष्पादी अभिकरणों द्वारा प्रतिधारण

यह पाया गया कि ₹ 165.32 करोड़ (परिशिष्ट 3.6) के 15 सहायता अनुदान विपत्र अनुमण्डलीय अस्पतालों के निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उन्नयन इत्यादि के लिए 2009-12 के दौरान आहरित किए गए तथा बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम को उपबंधित किए गए। यह देखा गया कि उपबंधित निधियाँ अव्यवहृत पड़ी रहीं (अगस्त 2012)। नमूना जाँच में यह भी पाया गया कि नगर विकास एवं आवास विभाग तथा शिक्षा विभाग द्वारा ₹ 324.21 करोड़ आहरित की गई लेकिन मार्च 2012 तक ₹ 13 करोड़ का व्यय हुआ (परिशिष्ट 3.7)।

इस मामले में (परिशिष्ट 3.7 के क्रम संख्या 2 के लिए) शिक्षा विभाग ने कहा कि इसके केन्द्र प्रायोजित योजना होने के कारण, भारत सरकार का अंश (₹ 118.91 करोड़) प्राप्त करने के लिए, राज्यांश (₹ 39.64 करोड़) की विमुक्ति अंतर्निहित शर्त था। इसने पुनः सूचित किया कि मार्च 2012 में बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रारूप तैयार एवं अनुमोदित किया गया तथा विस्तृत प्राक्कलन संस्वीकृति चरण में था और जुलाई 2012 में मूदा जाँच जारी थी जिससे यह तथ्य इंगित हुआ कि 2009-10 के दौरान अग्रिम योजना के बिना निधियाँ आहरित हुई थीं। **परिशिष्ट 3.6** एवं **3.7** में दिए गए विवरण के अनुसार शेष विभागों के जवाब की प्रतीक्षा है।

### 3.2.10.4 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का प्रस्तुतीकरण

2009-10 एवं 2010-11 के दौरान आहरित ₹ 15333.60 करोड़ के सहायता अनुदानों के विरुद्ध ₹ 7837.69 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र 31 मार्च 2012 को प्रस्तुतीकरण हेतु लंबित थे जैसा कि राज्य वित्त लेखे के विवरणी संख्या 4 (बी0) में इंगित है। जवाब में वित्त विभाग ने कहा (नवम्बर 2012) कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र के प्रस्तुति संबंधी आवश्यक निर्देश मुख्य सचिव द्वारा सभी विभागों को पहले ही (जून 2012) दिए जा चुके हैं।

### 3.2.10.5 त्रुटिपूर्ण उपयोगिता प्रमाण-पत्र

अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण-पत्र साक्ष्य होते हैं कि सहायता अनुदान लक्षित उद्देश्य हेतु प्रयोग किया गया तथा निधि के उपयोगिता की वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करते हैं।

<sup>12</sup> अन्य वस्तु शीर्ष जिस पर सहायता अनुदान आहरित हुआ : 1301,2002,21012103,2701,2702,2801,3103,3401, 4201,5001,5002, 5003,5301



वित्तीय वर्ष 2009–12 से संबंधित बिहार राज्य पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड के उपयोगिता प्रमाण-पत्र की जाँच से प्रकट हुआ कि ₹ 302.86 करोड़ की निधि का उपयोग आकस्मिक देयता<sup>13</sup> के रूप में हुआ। तथापि, निगम के लेखाओं से प्रकट हुआ कि उस अवधि के दौरान निगम का आकस्मिक देयता शीर्ष के अंतर्गत व्यय नहीं हुआ।

अतः उपयोगिता प्रमाण-पत्र वास्तविक व्यय को प्रतिबिंबित नहीं करते। इसलिए, ऐसे उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को संतोषप्रद व्यय के रूप में स्वीकार करना उचित नहीं था तथा ऐसे गलत एवं कल्पित घोषणा के आधार पर उत्तरवर्ती सहायता अनुदान मुक्त करना अनियमित था।

प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने अपने उत्तर में कहा (सितम्बर 2012) कि जिन मामलों में संविदाकारों से पूरे कार्य का करार कर लिया गया था तथा उस कारण से भविष्य देयता को चुकाने हेतु निधियों की आवश्यकता होगी, उन्हें आकस्मिक देयता माना गया था। अतः यह स्पष्ट था कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र अव्ययित, राशि हेतु तैयार किया गया था तथा जिसे संभवतः आगामी वर्षों<sup>14</sup> में खर्च किया जाना था। इस ओर ध्यान आकृष्ट किये जाने पर (सितम्बर 2012), विभाग ने लेखापरीक्षा के दावा को स्वीकारते हुए निगम को केवल वास्तविक व्यय को प्रतिबिंबित करने वाले उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया (अक्टूबर 2012)। निगम द्वारा परिशोधन हेतु लिए गए उपायों की सूचना लंबित थी (नवम्बर 2012)।

### 3.2.10.6 सहायता अनुदान की उपयोगिता: बिहार कोसी बाढ़ बचाव परियोजना

बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण समिति का गठन (7 जुलाई 2010) आपदा बचाव साथ ही बिहार सरकार द्वारा भविष्य के जोखिम कम करने के प्रयास को सहारा देने हेतु किया गया था। समिति को तीन जिलों<sup>15</sup> में कोसी आपदा 2008 के बाढ़ राहत परियोजना का बीड़ा उठाना पड़ा। वर्ष 2010–12 के दौरान समिति को योजना एवं विकास विभाग से ₹ 575.19 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ। अनुदान को मार्च 2012 तक उपयोग में लाना था। लेकिन यह देखा गया कि ₹ 575.19 करोड़ का निधि में से ₹ 467.81 करोड़ का उपयोग मार्च 2012 तक नहीं हुआ।

‘जीविका’ बिहार कोसी बाढ़ बचाव परियोजना की आजीविका पुनःस्थापन एवं संवर्द्धन हेतु कार्यान्वयन एजेंसी थी जिसका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक पूँजी (संवृद्ध आय एवं कम ऋण स्तर के जरिये) का निर्माण तथा प्रभावित लोगों के आजीविका अवसरों को बढ़ाना था। वर्ष 2010–12 के दौरान ‘जीविका’ ने ₹ 65 करोड़ (बी0ए0पी0ई0पी0एस0 से ₹ 15 करोड़ तथा योजना एवं विकास विभाग से ₹ 50 करोड़ का अनुदान) ग्रहण किया। इसके विरुद्ध ‘जीविका’ ₹ 11.30 करोड़ का उपयोग 31 मार्च 2012 तक कर सका तथा शेष ₹ 53.86 करोड़ बैंक खाते में पड़ा रहा (मार्च 2012)।

विभाग ने कहा कि (दिसम्बर 2012) बी0ए0पी0ई0पी0एस0 से उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधी रिपोर्ट माँगी गयी। उत्तर से प्रदर्शित हुआ कि अनुदान ग्राही का चयन करने के बावजूद भी बी0ए0पी0ई0पी0एस0 निधियों के उपयोग की स्थिति से अवगत नहीं था तथा वह उत्तरवर्ती सहायता अनुदान विमुक्त कर रहा था।

<sup>13</sup> एक संभावित देयता जो कि पूर्व के घटना से उत्पन्न हो तथा जिसकी उपस्थिति सिर्फ एक या अधिक अनिश्चित भविष्य घटना के होने या न होने पर ही निश्चित होगा या एक वर्तमान, दायित्व जो कि पूर्व के घटना से उत्पन्न हुआ है परन्तु जो पहचानित न हो क्योंकि (i) यह संभव नहीं है कि दायित्व को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता से पूर्ण संसाधनों का प्रवाह आवश्यक होगा या (ii) देयता की राशि का भरोसेमंद आकलन नहीं किया जा सकता था।

<sup>14</sup> बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड के लेखा में अधिकांश परियोजना (वर्ष 1990 से लेकर) को प्रगति में दिखाया गया है।

<sup>15</sup> सहरसा, सुपौल, मधेपुरा

इसके अतिरिक्त, योजना एवं विकास विभाग ने बी०ए०पी०ई०पी०एस० को यथाशीघ्र निधि को प्रयोग करने अथवा अव्ययित शेष की वापसी सुनिश्चित करने हेतु निदेश दिया (दिसम्बर 2012)। अतः बिहार कोसी बाढ़ बचाव परियोजना जो कि एक आपदा पुनर्वास योजना थी तथा जिसका क्रियान्वयन युद्धस्तर पर किया जाना था, उसके कार्यान्वयन में ढीलापन था।

### 3.2.10.7 पूँजीगत व्यय के रूप में सहायता अनुदान का वर्गीकरण

भारत सरकार लेखा मानक 2 के अनुसार—“सहायता अनुदान का लेखाकरण तथा वर्गीकरण” अनुदान प्रदाता द्वारा अनुदान ग्राही को संवितरित सहायता अनुदान उद्देश्य के निरपेक्ष वित्तीय विवरणी में राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत एवं लेखांकन होगा, विशेष मामलों के अतिरिक्त जिसके लिए किया गया हो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा प्राधिकृत निधि का संवितरण सहायता-अनुदान के रूप में हुआ, उन्हें सरकार के वित्तीय विवरण में पूँजी शीर्ष खाते के नाम डाला जाएगा (वर्तमान मामले में बिहार सरकार)।

वित्तीय वर्ष 2011-12 में बिहार सरकार के लेखाओं के नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि ₹ 460.61 करोड़ का सहायता अनुदान पूँजीगत व्यय<sup>16</sup> माना गया।

### 3.3 प्रमाणीकरण के लिए कुछ प्राधिकरणों या निकायों के लेखे/लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के समर्पण में विलंब

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 के अनुच्छेद 20(1) में वर्णित प्रावधान के अनुसार किसी भी निकाय या प्राधिकरण के लेखों की लेखा परीक्षा यदि नियंत्रक महालेखापरीक्षक को किसी कानून के द्वारा सौंपी जाती है या यदि किसी विधान सभा वाले राज्य के राज्यपाल द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया जाता है तो लेखापरीक्षा की जिम्मेदारी उनके और संबंधित सरकार के बीच सहमति प्राप्त शर्तों-प्रतिबंधों पर ली जा सकती है तथा ऐसे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों तथा निकायों एवं प्राधिकरणों के बही एवं लेखाओं तक पहुँच का अधिकार होगा।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा स्थायी रूप से नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सौंपी गई। इसके अतिरिक्त, बिहार राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (बी०एस०के०भी०आई०बी०), बिहार राज्य आवास बोर्ड (बी०एस०एच०बी०) तथा राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय (आर०ए०यू०), पूसा, समस्तीपुर के क्रमशः वर्ष 2003-04 से 2009-10, 2004-05 के आगे की अवधि तथा वर्ष 2010-11 के लेखाओं की लेखापरीक्षा नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सौंपी गयी। इन निकायों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण, नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का निर्गमन तथा राज्य विधान मंडल में इनकी प्रस्तुति **परिशिष्ट 3.8** में दर्शाया गया है।

### 3.4 दुर्विनियोजन, गबन, कपटपूर्ण/ आधिक्य भुगतान

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 31 और 32 में प्रावधान है कि सरकारी धन की कोई हानि या उसका संदेह होने पर या सरकारी धन के गबन होने पर संबंधित पदाधिकारी को अपने से उच्च पदाधिकारी को और वित्त विभाग को तथा साथ ही प्रधान महालेखाकार को तुरन्त इसकी सूचना देनी चाहिए, चाहे ऐसी हानि की क्षतिपूर्ति जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा क्यों न कर दी गई हो। जाँचोपरान्त ऐसी हानि की प्रकृति, सीमा तथा कारणों एवं इसकी वसूली को प्रभावित करने वाली संभावनाओं से संबंधित पूर्ण रिपोर्ट समर्पित कर देनी चाहिए इन प्रतिवेदनों को प्राप्त करने वाले पदाधिकारियों को आवश्यक अथवा उचित विभागीय जाँच करने के पश्चात दुर्विनियोजन, हानि अथवा गबन के कारणों अथवा परिस्थितियों का विस्तृत प्रतिवेदन जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की चर्चा करते हुए भेजना चाहिए। तथापि, ऐसा कोई भी प्रतिवेदन कार्यालयाध्यक्षों द्वारा प्रधान महालेखाकार को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

<sup>16</sup> वित्त लेखे 2011-12 की टिप्पणी संख्या-8, पृष्ठ-22 पर



### अध्याय 3—वित्तीय रिपोर्टिंग

वर्ष 2011-12 के दौरान, नमूना जाँच में ₹ 3.58 करोड़ के गबन, दुर्विनियोजन, हानि, कपटपूर्ण/आधिक्य भुगतान तथा चोरी के 17 मामले पाये गये जो संबंधित विभागों के पास लंबित थे। समयवार/वर्गवार लंबित मामलों को विस्तृत रूप से **परिशिष्ट 3.9** तथा **3.10** में तथा संक्षिप्त रूप से **तालिका 3.5** में प्रस्तुत किया गया है। बट्टे खाते में डाले हुए हानि से संबंधित मामले को सरकार द्वारा सूचित नहीं किया गया था।

**तालिका 3.5 : लंबित मामलों की प्रवृत्ति**

(₹ करोड़ में)

| मामले की प्रकृति/विशेषताएँ | मामले की संख्या | सम्मिलित राशि |
|----------------------------|-----------------|---------------|
| दुर्विनियोजन               | 03              | 0.32          |
| चोरी                       | 01              | 0.31          |
| गबन                        | 07              | 1.22          |
| कपटपूर्ण भुगतान            | 02              | 0.23          |
| आधिक्य भुगतान              | 04              | 1.50          |
| <b>कुल लंबित मामले</b>     | <b>17</b>       | <b>3.58</b>   |

(स्रोत: लेखा परीक्षा निष्कर्ष)

17 मामलों में सात मामले (41.18 प्रतिशत) हानि से संबंधित हैं, जो इंगित करता है कि संबंधित विभागों द्वारा विहित नियम के अनुसार सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए उपर्युक्त कदम नहीं उठाये गये। इन मामलों के निष्पादन में विभागों के उदासीन रवैये के कारण न केवल राज्य राजकोष को घाटा हुआ, बल्कि दोषी व्यक्ति के विरुद्ध समय पर कार्रवाई करने में भी असफलता मिली।

#### 3.5 बहुप्रयोजनित लघु शीर्ष – 800 की कार्य प्रकिया

लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियाँ' तथा '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत प्राप्तियाँ अथवा व्यय को दर्ज करने को प्राप्ति तथा व्यय का अपारदर्शी वर्गीकरण माना जाता है, क्योंकि ये शीर्ष राशि से संबंधित योजनाओं/कार्यक्रमों को प्रकट नहीं करते हैं। शीर्ष उपलब्ध कार्यक्रम लघु शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत व्यय को समायोजित करता है।

वर्ष 2011-12 के दौरान, व्यय भाग के 45 राजस्व एवं पूँजीगत मुख्य शीर्ष के खातों (सरकार का कार्य प्रस्तुत करते हुए) के अंतर्गत कुल ₹ 2409.13 करोड़ व्यय लघु शीर्ष- '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया जो कि संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय का 5.99 प्रतिशत था। ग्यारह मुख्य शीर्षों में ₹ 1623.57 करोड़ (₹ 10 करोड़ तथा अधिक) का भारी व्यय 'अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया जिसका विवरण **परिशिष्ट 3.11** में दिया गया है।

इसी तरह, राजस्व प्राप्तियाँ भाग (सहायता अनुदान को छोड़कर) पर खातों के 43 राजस्व मुख्य शीर्ष के अंतर्गत ₹ 330.05 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियाँ खातों में लघु शीर्ष-800 अन्य प्राप्तियाँ के अंतर्गत वर्गीकृत की गयी जो कि संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्ति (राजस्व) का 2.45 प्रतिशत था। पाँच मुख्य शीर्षों में ₹ 178.51 करोड़ (₹ 10 करोड़ तथा अधिक) की वृहत् प्राप्ति हुई जिसे 'अन्य प्राप्तियाँ' के रूप में वर्गीकृत की गयी जिसका विवरण **परिशिष्ट 3.12** में दिया गया है।

61 कोषागारों में बहु-प्रयोजनित लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय/प्राप्तियाँ के अंतर्गत वृहत् राशि के वर्गीकरण से वित्तीय प्रतिवेदन में पारदर्शिता प्रभावित हुई।

#### 3.6 निष्कर्ष

सार आकस्मिक/सहायता अनुदान विपत्रों पर निधि के आहरण की समीक्षा तथा विस्तृत आकस्मिक विपत्रों की प्रस्तुति से प्रकट हुआ कि इस क्षेत्र में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मजबूत करने तथा प्रभावी अनुश्रवण की आवश्यकता है। सार आकस्मिक/सहायता अनुदान विपत्रों पर निधि का आहरण बिना पर्याप्त योजना तथा तात्कालिक आवश्यकता एवं बजट अनुदान के व्यपगत से बचने हेतु किया गया जिससे अनावश्यक रूप से निधि का पार्किंग/प्रतिधारण/अवरोधन हुआ।

विस्तृत आकस्मिक विपत्र तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की प्रस्तुति में विलंब पाया गया।

निर्दिष्ट समय सीमा में विस्तृत आकस्मिक विपत्रों की प्रस्तुति नहीं होना तथा वित्तीय वर्ष के अंत में सार आकस्मिक विपत्रों पर योजना/पूँजीगत व्यय हेतु निधि का आहरण अपर्याप्त वित्तीय प्रबंधन के सूचक थे।


इसके अतिरिक्त, सार आकस्मिक/विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के संबंध में बिहार कोषागार संहिता में संशोधन भारत सरकार के प्राप्ति एवं भुगतान नियम, 1983 के अनुसार नहीं था तथा इसमें सुधार की आवश्यकता थी।

### 3.7 अनुशंसाएँ

- सरकार को सार आकस्मिक/सहायता अनुदान विपत्रों पर निधि के आहरण के संबंध में अपने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करना चाहिए ताकि इन विपत्रों पर आहरित निधि का समय पर उपयोग सुनिश्चित हो सके।
- तात्कालिक आवश्यकता के बिना सार आकस्मिक/सहायता अनुदान विपत्रों पर अधिक निधि के आहरण तथा बैंक खातों तथा व्यक्तिगत खातों में इन निधियों का अवरोधन/पार्किंग की प्रवृत्ति से बचना चाहिए।
- सरकार को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्ति अथवा व्ययित राशि को लघु शीर्ष '800—अन्य व्यय' तथा '800—अन्य प्राप्ति' के अंतर्गत शामिल करने के बजाय इसे भिन्न लेखाओं में वर्गीकृत कर वित्तीय प्रतिवेदनों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना चाहिए।
- कोषागार द्वारा अभिश्रवों के गलत वर्गीकरण से बचना चाहिए तथा कोषागारों की पर्यवेक्षीय भूमिका सुदृढ़ करना चाहिए।
- नियंत्री अधिकारियों तथा आहरण एवं संवितरण पदाधिकारी (डी0डी0ओ0) को निधि के आहरण एवं उपयोग संबंधी नियम एवं प्रक्रिया के प्रति अधिक चौकन्ना तथा सतर्क रहना चाहिए।

पटना

दिनांक :




(आई. डी. एस. धारीवाल)

महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक :



(विनोद राय)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक